



**मध्यप्रदेश विधान सभा**  
**संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)**  
**मंगलवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 (अग्रहायण 30, शक संवत् 1943)**  
**विधान सभा पूर्वाह्नि 11:01 बजे समवेत हुई.**  
**अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.**

**1. अध्यक्षीय घोषणा**

**चयनित तारांकित प्रश्नों पर चर्चा के दौरान प्रश्नोत्तरी में मुद्रित प्रश्नों को न पढ़ा जाना**

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि – “प्रश्नकाल हेतु माननीय सदस्यों के चयनित तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर मुद्रित प्रश्नोत्तर सूची में उल्लिखित रहते हैं। इसके आधार पर आसंदी से पुकारे जाने पर संबंधित सदस्य द्वारा सदन में अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने चाहिए। परन्तु प्रायः देखने में आता है कि प्रश्नकर्ता सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने हेतु पुकारे जाने पर वह पहले प्रश्नोत्तर सूची में उल्लिखित प्रश्न एवं शासन के जवाब को पढ़ाते हैं, तदुपरांत अपना अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं, इससे जहां एक प्रश्न पर अधिक समय जाया होता है, वहीं अन्य प्रश्नों के लिये भी समय उपलब्ध नहीं हो पाता है।

अतः अब प्रश्नों के लिये यह प्रक्रिया निर्धारित की गयी है कि प्रश्नकाल में जिस सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए आसंदी द्वारा पुकारा जाये, वह सदस्य न तो प्रश्नोत्तर सूची में पूर्व से उल्लिखित प्रश्न पढ़ेगा और न ही उसका जवाब सदन में पढ़ेगा, परन्तु प्रश्नोत्तर सूची में अंकित जवाब के आधार पर संबंधित मंत्री से जानकारी हेतु अपना अनुपूरक प्रश्न तत्परता से पूछेगा तथा विभागीय मंत्री भी उस पर सटीक जवाब देगा।

यदि कोई सदस्य इस प्रक्रिया का पालन आसंदी द्वारा इंगित किये जाने या टोकने के बाद भी नहीं करता है, तब समय की बचत हेतु आगामी प्रश्न को लिया जा सकेगा। इस प्रक्रिया से कम समय में सदस्यों के प्रश्न का अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से निराकरण हो सकेगा तथा प्रश्नकाल में अन्य सदस्यों के अधिक से अधिक प्रश्न सदन में चर्चा के लिये लिये जा सकेंगे।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

**2. स्थगन प्रस्ताव**

**त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एवं  
आरक्षण पूर्ववर्ती कार्यकाल के अनुसार किये जाने से उत्पन्न स्थिति**

(1) प्रश्नकाल के दौरान, श्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से अनुरोध किया कि पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों का आरक्षण न होने के संबंध में हमने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सदन की यह परम्परा रही है कि स्थगन प्रस्ताव आने पर सदन की सारी चर्चा रोककर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है, आप तत्काल इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा स्वीकार करें।

(2) श्री शिवाराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने आसंदी के माध्यम से सदन के समक्ष उल्लेख किया कि पिछड़ा वर्ग के करोड़ों लोगों का भविष्य खतरे में है। इससे ज्यादा अविलम्बनीय लोक महत्व का दूसरा कोई प्रश्न नहीं हो सकता इसलिए सदन के बाकी कार्य को स्थगित कर तत्काल स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाए।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि इस स्थगन प्रस्ताव की चर्चा के लिए दोनों पक्ष सहमत हैं इसलिए मैं इसको ग्राह्यता पर चर्चा के लिए स्वीकार करता हूँ। परन्तु कई बार देखा गया है कि जब चर्चा होती है तो प्रतिपक्ष के सदस्य बोल लेते हैं, लेकिन जब सदन के नेता बोलते हैं तो उनके भाषण के बीच में व्यवधान किया जाता है या अनेक माननीय सदस्य सदन के बाहर चले जाते हैं। इसलिए सदन के नेता की बात गंभीरता से सुनी जाए। साथ ही तथ्यात्मक चर्चा हो, पुनरावृत्ति न हो ताकि नियत समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण हो सके।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि प्रदेश में दिनांक 21.11.2021 को जारी किये गए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एवं आरक्षण पूर्ववर्ती कार्यकाल के अनुसार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की सूचना अधिक तथ्यात्मक होने के कारण उनकी सूचना को पढ़ा गया।

स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

- (1) श्री कमलेश्वर पटेल

अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि वे स्वयं समय का निर्धारण कर, पुनरावृत्ति न करते हुए संक्षेप में विचार व्यक्त करें। साथ ही वक्ताओं के भाषण के माध्य हस्तक्षेप न करते हुए अपने क्रम पर भाषण में तथ्यों का उत्तर दें।

### 3. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

- (1) श्री लक्ष्मण सिंह
- (2) श्रीमती झूमा सोलंकी
- (3) श्री रामलाल मालवीय
- (4) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
- (5) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
- (6) श्रीमती नंदनी मरावी

### 4. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

- (2) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री  
(3) डॉ. गोविन्द सिंह

श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य द्वारा आसंदी से अनुरोध किया गया कि यदि विपक्ष से नेता प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष से मुख्यमंत्री महोदय बोल लें तो बात पूरी हो जायेगी। डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री एवं आसंदी द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

- (4) श्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि - “माननीय सदस्यों के विचार एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् मैं स्थगन प्रस्ताव की प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता”।

**(अपराह्न 1.20 बजे से 3.35 बजे तक अंतराल)**

### अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए।

(प्रश्नकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा स्वीकार होने के कारण आज प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों पर चर्चा नहीं हो सकी। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 116 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 141 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।)

## 5. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

- (1) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा आरक्षित वर्ग के पदों को बैंकलॉग/रिक्त दिखाकर अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की भर्ती की जाने,
  - (2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले की लहार विधानसभा क्षेत्र के नगरीय निकायों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं अन्य पद रिक्त होने,
  - (3) श्री आरिफ अकील, सदस्य की अपेक्षा बैंक भोपाल में नियमों के विरुद्ध ऋण वितरण एवं नियुक्ति किये जाने,
  - (4) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की प्रदेश के भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को दिये गये पट्टों का रिकार्ड शासकीय अभिलेख में न दर्ज होने,
  - (5) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य की रायसेन जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में संबल योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों से अवैध रूप से फीस वसूल किए जाने,
  - (6) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय, सदस्य की रतलाम जिले के थाना विलपांक में संदिग्ध आरोपी को सांठ-गांठ कर छोड़े जाने,
  - (7) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की रायसेन जिले में दिव्यांगों को प्रमाण पत्र नहीं मिलने से शासन की योजनाओं का लाभ न मिलने,
  - (8) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की प्रदेश में मनरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान न किये जाने,
  - (9) श्री बहादुरसिंह चौहान, सदस्य की महिदपुर स्थित कई संस्थाओं के उर्वरक नमूने जांच में अमानक पाए जाने के बाद भी कार्यवाही न किए जाने एवं
  - (10) श्री कुणाल चौधरी, सदस्य की पृथ्वीपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन शॉपिंग काम्पलेक्स को जर्मिंदोज किये जाने
- संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

## 6. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) पटल पर रखा.

## 7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने -
  - (क) (i) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र वर्ष 2018-19 प्रतिवेदन संख्या-1,
  - (ii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 प्रतिवेदन संख्या-2,
  - (iii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का आर्थिक क्षेत्र पर प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 प्रतिवेदन संख्या-3,
  - (iv) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर वर्ष 2018-19 के लिए प्रतिवेदन संख्या-4,
  - (v) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 प्रतिवेदन संख्या-5, एवं
  - (vi) मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे वर्ष 2019-20 एवं मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे (खण्ड-I एवं II) वर्ष 2019-20, तथा
  - (vii) दि प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का 88 वां एवं 89 वां प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 पटल पर रखे.

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने -

(क) राजस्व विभाग की अधिसूचनाएँ :-

(i) क्रमांक एफ 2-12-2018-सात-7, दिनांक 10 मार्च, 2021,

(ii) क्रमांक एफ-2-12-2018-सात-शा-7 (शुद्धि पत्र), दिनांक 29 जून 2021, एवं

(iii) क्रमांक एफ-2-2/2020/सात/7, दिनांक 04 अगस्त, 2021, जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र में 06 अगस्त, 2021 को प्रकाशित किया गया, तथा

(ख) अधिसूचना क्रमांक एफ-2-7/2015/सात/7, दिनांक 29 जुलाई 2021, जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 30 जुलाई, 2021 को प्रकाशित किया गया  
पटल पर रखीं.

(3) डॉ.प्रभुराम चौधरी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अनुपस्थिति में श्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 पटल पर रखा.

(4) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने -

(क) (i) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का 18 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20,

(ii) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2019-20,

(iii) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का 18 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20,

(iv) शहपुरा थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का 14 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20,

(v) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 18 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2019-20,

(vi) बाणसागर थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का 9 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20, एवं

(vii) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर का 18 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20,

(ख) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2019-20 के अंकेक्षित लेखे,

(ग) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21, एवं

(घ) निम्नलिखित अधिसूचनाएँ:-

(i) क्रमांक 983/मप्रविनिआ/2021, भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 2021,

(ii) क्रमांक 984/मप्रविनिआ/2021, भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 2021,

(iii) क्रमांक 985/मप्रविनिआ/2021, भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 2021,

(iv) क्रमांक 986/मप्रविनिआ/2021, भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 2021,

(v) क्रमांक 987/मप्रविनिआ/2021, भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 2021, एवं

(vi) क्रमांक 1023/मप्रविनिआ/2021, भोपाल, दिनांक 22 जुलाई, 2021,

पटल पर रखीं.

(5) डॉ.अरविन्द सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2017-18 एवं 2018-19,

(ख) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2019-20,

(ग) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2018-19 एवं 2019-20,

(ङ) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2018-19,

(च) मध्यप्रदेश राज्य पॉवरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित, बुरहानपुर का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20, तथा

(छ) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2020-21, पटल पर रखे.

(6) डॉ.मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने -

(क) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020, एवं

(ख) अटल विहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 एवं अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20  
पटल पर रखेंगे.

(7) श्री हरदीप सिंह डंग, पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 पटल पर रखा।

(8) श्री राजबद्धनसिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ने मध्यप्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन, ग्वालियर लिमिटेड का वित्तीय लेखे वर्ष 2018-19 पटल पर रखा।

(9) श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा ने -

(क) मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 2019-20, एवं

(ख) समग्र शिक्षा अभियान मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 2019-20 पटल पर रखे।

#### **8. अगस्त, 2021 सत्र की स्थगित बैठकें दिनांक 11 एवं 12 अगस्त, 2021 की प्रश्नोत्तर सूचियां तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-8 पटल पर रखा जाना**

अध्यक्ष महोदय ने अगस्त, 2021 सत्र की स्थगित बैठकें दिनांक 11 एवं 12 अगस्त, 2021 की प्रश्नोत्तर सूचियां तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-8 पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

#### **9. नियम 267-क के अधीन अगस्त, 2021 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना**

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन अगस्त, 2021 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

#### **10. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना**

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित 7 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई हैं, जिनके नाम दर्शने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं। इन विधेयकों को नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2021 (क्रमांक 28 सन् 2021)	अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2021
2.	मध्यप्रदेश माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 27 सन् 2021)	अधिनियम क्रमांक 21 सन् 2021
3.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 24 सन् 2021)	अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2021
4.	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2021 (क्रमांक 25 सन् 2021)	
5.	मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 22 सन् 2021)	अधिनियम क्रमांक 24 सन् 2021
6.	मध्यप्रदेश संशोधन अधिनियमों का निरसन विधेयक, 2021 (क्रमांक 23 सन् 2021)	अधिनियम क्रमांक 25 सन् 2021
7.	मध्यप्रदेश आवकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 26 सन् 2021)	अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2021

## 11. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक के पुरःस्थापन, विचार एवं पारण पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक	आवंटित समय
(1)	मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 29 सन् 2021)	30 मिनिट
(2)	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 30 सन् 2021)	30 मिनिट
(3)	ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 31 सन् 2021)	15 मिनिट
(4)	मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 32 सन् 2021)	15 मिनिट
(5)	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 33 सन् 2021)	1 घण्टा 30 मि.
(6)	मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक, 2021 (क्रमांक 34 सन् 2021)	1 घण्टा
(7)	वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण.	2 घण्टे

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों एवं वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक के पुरःस्थापन, विचार एवं पारण पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

## 12. ध्यानाकर्षण

(1) श्रीमती कृष्णा गौर, सदस्य ने भोपाल नगर निगम क्षेत्र की भूमियों के भू-राजस्व/लगान पर पंचायत उपकर का आरोपण किए जाने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) डॉ. सतीश सिकरवार, श्री संजीव सिंह, श्री राकेश मावर्डी, डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्यगण ने ग्वालियर एवं चम्बल संभाग सहित अन्य जिलों में बाजरे की खरीदी न होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विसाहूलाल सिंह, मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

## 13. बहिर्गमन

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा बाजरा खरीदी बंद करने के विरोध में शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।

सभापति महोदया (श्रीमती झूमा सोलंकी) पीठासीन हुई

## 14. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति ने याचिका समिति का याचिकाओं से संबंधित तृतीय, पंचम, षष्ठ्म् एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों, प्रमुख सचिव एवं अधिकारी-कर्मचारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया.

(2) श्रीमती गायत्री राजे पवार, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(3) श्री पी.सी. शर्मा, सभापति ने लोक लेखा समिति का अठारहवां से तैनीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा लोकसभा में आयोजित सम्मेलन का उल्लेख करते हुए सबके प्रति आभार व्यक्त किया.

## 15. याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदया द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईः-

- (1) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)
- (2) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल (जिला-रायसेन)
- (3) श्री शरदेन्दु तिवारी (जिला-सीधी)
- (4) कुंवर रविन्द्र सिंह तोमर (भिडौसा) (जिला-मुरैना)
- (5) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
- (6) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
- (7) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
- (8) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी (जिला-इमोह)
- (9) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़ नगर)
- (10) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
- (11) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
- (12) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
- (13) डॉ. सीतासरन शर्मा (जिला-होशंगाबाद)
- (14) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
- (15) श्री योगेन्द्र सिंह (जिला-इन्दौर)

## 16. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन

सुश्री मीना सिंह माण्डवे, जनजातीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - "सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2021-2022 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमशः चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के होंगे) अग्रसर हों।".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

## 17. पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन

श्री रामखेलावन पटेल, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने प्रस्ताव किया कि - "सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-द के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2021-2022 के लिए पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें आठ सदस्य शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों।".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

### **निर्वाचन कार्यक्रम**

सभापति महोदया द्वारा निम्नानुसार निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित करने की घोषणा की गई -

- (1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में बुधवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं.
- (2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच गुरुवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 को अपराह्न 1.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक- 6 में होगी.
- (3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरुवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 4.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है.
- (4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान शुक्रवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा.
- (5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

### **18. शासकीय विधि विषयक कार्य**

- (1) डॉ. कुँवर विजय शाह, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 29 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।
- (2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 30 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।
- (3) श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 31 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।
- (4) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 32 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

### **19. अध्यक्षीय घोषणा**

#### **मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2021 आगामी तिथि में लिया जाना**

सभापति महोदया द्वारा घोषणा की गई कि शासकीय विधि विषयक कार्य में क्रमांक-5 पर उल्लेखित विधेयक संबंधी श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, भारसाधक मंत्री के अनुरोध पर आगामी तिथि को लिया जायेगा।

### **20. वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन**

श्री जगदीश देवडा, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

सभापति महोदया द्वारा वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिये दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 को 2 घण्टे का समय नियत किया गया।

अपराह्न 4.29 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 (1 पौष, शक सम्वत् 1943) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

**भोपाल:**  
**दिनांक: 21 दिसम्बर, 2021.**

**ए. पी. सिंह,**  
**प्रमुख सचिव,**  
**मध्यप्रदेश विधान सभा।**